न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खानपुर जिला झालावाड़
(पीठासीन अधिकारी – श्री प्रमोदकुमार सिंघव आर.ए.एस.)

मिसल नं05 २ ५/प्रार्थना–पत्र/2019
{मि0नं0 753/दावा/17 दायरा 17/07/17}

उनवान

1. घनश्याम पुत्र रामनाथ जाति गुर्जर निवासी भीलखेडा तह0 खानपुर
2. मोतीलाल पुत्र रामनाथ जाति गुर्जर निवासी भीलखेडा तह0 खानपुर
3. रामरतन पुत्र रामनाथ जाति गुर्जर निवासी भीलखेडा तह0 खानपुर
4. गोपाल पुत्र रामनाथ जाति गुर्जर निवासी भीलखेडा तह0 खानपुर
5. जयपाल पुत्र रामनाथ जाति गुर्जर निवासी भीलखेडा तह0 खानपुर
6. कस्तूरीबाई पुत्री रामनाथ जाति गुर्जर निवासी भीलखेडा तह0 खानपुर
7. बूला पुत्र किशना जाति गुर्जर निवासी भीलखेडा तह0 खानपुर
8. गोरधीलाल पुत्र किशना जाति गुर्जर निवासी भीलखेडा तह0 खानपुर
9. भूमली पुत्री किशना जाति गुर्जर निवासी भीलखेडा तह0 खानपुर
10. बलराम पुत्र बिरधा जाति गुर्जर निवासी भीलखेडा तह0 खानपुर
11. तुलस्या पुत्र भैरूलाल जाति गुर्जर निवासी भीलखेडा तह0 खानपुर
12. कजोड़ पुत्र भैरूलाल जाति गुर्जर निवासी भीलखेडा तह0 खानपुर
13. पानाबाई बेवा भैरूलाल जाति गुर्जर निवासी भीलखेडा तह0 खानपुर

– वादी/अप्रार्थी

बनाम

1. द्वारकालाल पुत्र लटूर जाति गुर्जर निवासी भीलखेडा तह0 खानपुर
2. कंचनबाई पुत्री लटूर जाति गुर्जर निवासी भीलखेडा तह0 खानपुर
3. राजीबाई पुत्री श्रीलाल जाति गुर्जर निवासी भीलखेडा तह0 खानपुर
4. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा खानपुर
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील खानपुर
6. भू. अवाप्ति अधिकारी परवन सिंचाई परियोजना झालावाड़

– प्रार्थी/प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 209 आर.टी.एक्ट 1955 एवं प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0दी0

उपस्थित:– श्री रमेशकुमार विजय एडवोकेट – प्रार्थी/प्रतिवादी नं0 1, 2, 3
श्री हितेष राठौर एडवोकेट – अप्रार्थी/वादी

निर्णय

दिनांक 23/10/2019

प्रार्थना–पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं। प्रार्थी/प्रतिवादीगण 1, 2 ने दिनांक 22.02.2018 को जर्ये अधिवक्ता एक प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 सिविल

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner

प्रकिया संहिता 1908 के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रस्तुत वाद वादीगण ने मौखिक बैचान करना प्रदर्शित कर पेश किया है और खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही है। प्रार्थी अन्य आधारों सहित निम्न आधारों पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हैं:—

1. यह कि प्रचलित राजस्व विधि में मौखिक बैचान से किसी भी प्रकार के अधिकार उत्पन्न नहीं होते हैं तथा राजस्व विधि के अनुसार वाद वर्जित है।
2. यह कि वादीगण ने कब्जा मुखालफाना के आधार पर भी खातेदारी की घोषणा माननीय न्यायालय से चाही है, जो प्रचलित राजस्व विधि अनुसार वर्जित है।
3. यह कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद विधि के प्रावधानों के विपरीत पेश किये जाने से स्वतः खारिज होने को मोहताज है।
4. यह कि वादीगण ने महज प्रार्थीगण के भूमि के अवाप्ति मुआवजों को रूकवाने की वदनियत से प्रार्थना पत्र पेश किया है, जबकि वादीगण सहखातेदार होने के बावजूद मुआवजा प्राप्त कर चुके हैं।

अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर अर्ज है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थना–पत्र की नकल अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी को दिलायी गयी, जिन्होने प्रार्थना–पत्र का जवाब इस प्रकार पेश किया कि हमने बैचान के आधार पर ही उक्त वाद को पेश किया है। वादी ने अपने परिवारजन होने के नाते उक्त बैचान को तस्दीक किया है। वादी व प्रतिवादीगण आपस में परिवारजन ही हैं और उक्त आराजी पर लगभग 60 वर्षों से वादीगण व उनके पूर्वजों का कब्जा चला आ रहा है। लेकिन प्रतिवादीगण ने आज दिन तक भी कोई उजर दावा नहीं किया है। वादीगण ने कई बार प्रतिवादीगण से रजिस्ट्री बावत् कहा लेकिन प्रतिवादीगण हमेशा टालमटोल करता रहा है। प्रतिवादीगण पिछले 45 वर्षों अर्थात बैचान के कुछ समय बाद ही ग्राम भीलखेड़ा छोड़कर कहीं अन्य स्थान पर रहने लग गया है। इन्होने यह स्पष्ट नहीं किया है कि वाद विधि विरूद्ध कैसे है। हमारा वाद खातेदारी की घोषणा का है जो गवाहान व सबूतों को लिये बगैर निस्तारण किया जाना न्यायोचित नहीं है। इस स्टेज पर प्रकरण खारिज किया जाना गलत है। इनका प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। वकुलाय फरीकेन की सहमति से प्रार्थना –पत्र पर बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

विद्धान अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी ने अपनी बहस में प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि वादीगण मौखिक बैचान एवं कब्जा मुखालफाना के आधार पर अपना वाद लेकर आये हैं। प्रचलित राजस्व विधि में मौखिक बैचान एवं कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा किया जाना वर्जित है। वादीगण, वाद में वर्णित आराजी में सह खातेदार हैं, जिन्होने अपनी मुआवजा राशि तो प्राप्त कर ली है तथा प्रार्थी/प्रतिवादीगण की मुआवजा राशि को रूकवाने की वदनियती से यह वाद पेश किया है, जो विधि के प्रावधानों के विपरीत है। अतः हमारा प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर इनका वाद खारिज फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
आनपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि हम बैचान एवं कब्जा मुखालफाना के आधार पर ही वाद लेकर आये हैं। वादीगण ने वादग्रस्त आराजी में से खातेदार दूधा ने अपना 1/2 हिस्सा आज से 60 वर्ष पूर्व वादीगण के दादा कालूलाल को बैचान कर दिया था, तब से ही हमारे परिवार का निर्विघ्न रूप से ऐलानिया कब्जा इस आराजी पर चला आ रहा है। हमारा वाद खातेदारी अधिकारों की घोषणा का है, जिसे साक्ष्य व सबूत लिये जाने के बाद ही निर्णित किया जाना न्यायोचित है। इस स्टेज पर दावा खारिज किया अन्याय पूर्ण होगा। अतः इनका प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अद्योपांत अध्ययन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। वादीगण ने ग्राम भीलखेड़ा की खतौनी सं0 41 की 5 किता रकबा 44.06 बीघा में से प्रति0 1 लगा0 3 का नाम खाते से खारिज किया जाकर वादीगण को सम्मान से खातेदार टीनेंट घोषित किये जाने का यह वाद इस आधार पर पेश किया है कि 60 वर्ष पूर्व खातेदार दूधा ने उसके 1/2 हिस्से का बैचान वादीगण के दादा कालूलाल को करके कब्जा आराजी संभला दिया था। वादग्रस्त आराजी पर ऐलानिया बिना किसी बाधा के विगत 60 वर्षों से भी अधिक समय से कब्जा काश्त होने के कारण वादीगण कब्जा मुखालफाना के सिद्धान्त के आधार पर खातेदार टीनेंट घोषित होने योग्य हैं। वादीगण ने अपने वाद के साथ कोई बैचाननामा पेश नहीं किया है। वादीगण आराजी का मौखिक बैचान होना कहते हैं और मौखिक बैचान के आधार पर वादीगण खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने के अधिकारी नहीं हैं। वहीं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार दिये जाने के का भी कोई प्रावधान नहीं हैं। अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी ने अपने प्रार्थना–पत्र के समर्थन में आर.आर.टी. 2017(2) पेज 883 लूनियावास गृह निर्माण सहकारी समिति लि0 बनाम् स्टेट ऑफ राजस्थान, आर.आर.टी. 2016(1) पेज 723 रामप्रताप बनाम् कमलाबाई, आर.आर.टी. 2018(1) पेज 175 छीतर एवं अन्य बनाम् श्रीमती भंवरीदेवी एवं अन्य की नजीरें भी पेश की जिनका अवलोकन किया जाकर शामिल पत्रावली की गयी।

वादीगण ने अपने वाद की मद नं0 13 में अंकित किया है कि " यह कि वाद कारण दिनांक 01.07.2017 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी नं0 1 लगायत 3 से चलकर खाते से नाम खारिज करवाने की कहने पर उन्होने मना कर दिया तथा बाला बाला ही मुआवजा राशि लेने की तैयारी करने लग गये।" यहां जब आराजी का बैचान होना साबित नहीं है और कब्जा मुखालफाना के आधार पर वादग्रस्त आराजी में वादीगण को कोई अधिकार सृजित नहीं होते तो दिनांक 01.07.2017 को वाद कारण उत्पन्न होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है और जब वादीगण को वाद कारण ही उत्पन्न नहीं हुआ है तो विधि अनुसार वादी का वाद चलने योग्य ही नहीं है। यहां वादग्रस्त में प्रतिवादीगण सहखातेदार दर्ज रेकार्ड हैं ऐसे में इनको आराजी की अवाप्ति होने पर मुआवजा राशि प्राप्त करने का पूरा–पूरा अधिकार है। अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत नजीरें आर.आर.टी. 2017(2) पेज 883 लूनियावास गृह निर्माण सहकारी समिति लि0 बनाम् स्टेट ऑफ राजस्थान, आर.आर.टी. 2016(1) पेज 723 रामप्रताप बनाम् कमलाबाई, आर.आर.टी. 2018(1) पेज 175 छीतर एवं अन्य बनाम्

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner

श्रीमती भंवरीदेवी एवं अन्य इस प्रकरण में हूबहू चश्पा होती हैं। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि वादीगण द्वारा यह वाद महज प्रतिवादीगण को परेशान करने एवं उनकी मुआवजा राशि रूकवाने के लिये ही प्रस्तुत किया गया है, जिसे अब और लम्बित रखना न्यायोचित नहीं है। यहां हम प्रार्थी/प्रतिवादी के प्रार्थना–पत्र से पूर्ण रूप से सहमत हैं तथा यह स्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी, अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रकिया संहिता 1908 स्वीकार किया जाता है तथा वादी का वाद संख्या 753/2017 घनश्याम बनाम् द्वारकालाल चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। प्रार्थना–पत्र निर्णय में शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा वाद तामील तकमील मूल वाद के संलग्न रहे।

उपखण्ड अधिकारी
आनपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक 23/10/2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
आनपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar Sindhav
Date: 2019.11.06 15:06:17 IST
Reason: SelfAttested
Location: